

आदेश व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण
प्रकरण संख्या 97/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

राजपूताना महिला अरबन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गायत्री कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर।


प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती संज्या देवी सैनी पत्नी स्व. श्री कालू राम सैनी,
2. श्री संतोष कुमार सैनी पुत्र स्व. श्री कालू राम सैनी,
पता:- प्लॉट नं. 3, पांच्या विहार, जयपुर।
3. श्री दिनेश कुमार सैनी पुत्र स्व. श्री कालू राम सैनी,
पता:- पता:- प्लॉट नं. 3, पांच्या विहार, चौमूं, जयपुर,
प्लॉट नं. 3 ए, पांच्या विहार, जयपुर,
प्लॉट नं. जे-6, सहजो विहार-2, चौमूं, जयपुर
एवं प्लॉट नं. जे-7, सहजो विहार-2, चौमूं, जयपुर।
4. श्री मुकेश कुमार सैनी पुत्र स्व. श्री कालू राम सैनी,
पता:- प्लॉट नं. 3, पांच्य विहार, जयपुर।
5. श्री योगेश कुमार सैनी पुत्र श्री गिरधारी लाल सैनी,
पता:- 223, नीमड़ी ओरन, हथनोदा, जयपुर।
6. श्री शंकर लाल शर्मा पुत्र श्री नांची लाल शर्मा,
पता:- कजाला की ढाणी, ग्राम अनन्तपुरा वाया जैतपुरा, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणीएवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security
Interest Act, 2002



उपस्थित:- श्री अजय कुमार नटवारिया, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 22.07.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 05.12.2017 को पुनर्मुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी 1. श्री दिनेश कुमार सैनी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 3-ए, पांच्या विहार, चौमूं, जयपुर, क्षेत्रफल 66.66 वर्गगज, प्लॉट नं. जे-6, सहजो विहार-2, चौमूं, जयपुर, क्षेत्रफल 159.72 वर्गगज एवं प्लॉट नं. जे-7, सहजो विहार-2, चौमूं, जयपुर, क्षेत्रफल 159.72 वर्गगज एवं 2. श्रीमती संज्या देवी के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. 3, पांच्या विहार, चौमूं, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 464.47 वर्गगज को बंधक रख कर कुल राशि 20,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 01.01.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का

45
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)



भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 20,00,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक/हाईपोथिकेशन के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 15,91,397/-रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 01.01.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक/हाईपोथिकेटेड रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक/हाईपोथिकेटेड रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी 1. श्री दिनेश कुमार सैनी के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति प्लॉट नं. 3-ए, पांच्या विहार, चौमूं, जयपुर, क्षेत्रफल 66.66 वर्गगज, प्लॉट नं. जे-6, सहजो विहार-2, चौमूं, जयपुर, क्षेत्रफल 159.72 वर्गगज एवं प्लॉट नं. जे-7, सहजो विहार-2, चौमूं, जयपुर, क्षेत्रफल 159.72 वर्गगज एवं 2. श्रीमती संज्या देवी के स्वामित्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नं. 3, पांच्या विहार, चौमूं, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 464.47 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल

दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कारागार) जयपुर (ग्रामीण)